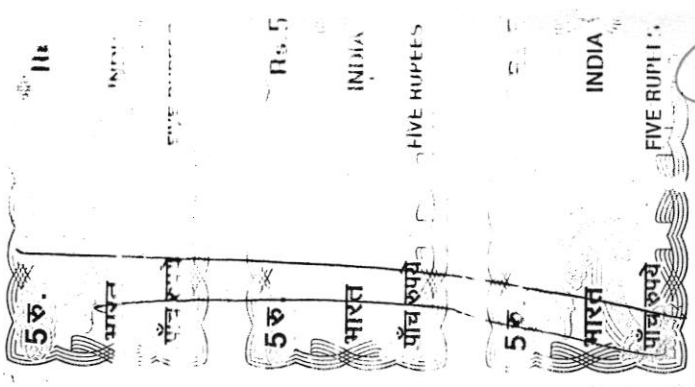

(60)

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक   १२०१५ निगरानी R - 3292/I/2015

१- भगवान सिंह पुत्र शंकर सिंह,
२- जसवन्त सिंह पुत्र भगवान सिंह,
निवासीगण ग्राम पीपरहूंठी, तेहसील व जिला विदिशा (मध्यप्रदेश)।

---- प्रार्थीगण

दिनांक 8.10.15 को श्री ... द्वारा प्रस्तुत।
8.10.15

बिरुध्द

देवी बाई वेवा धनसिंह निवासिन ग्राम पीपरहूंठा तेहसील व जिला विदिशा-म०प्र०।

----- प्रतिप्रार्थी

... 8/10/15

निगरानी बिरुध्द आदेश एस०डी०ओ० महोदय विदिशा दिनांकी २०-०८-२०१५ अन्तर्गत धारा ५०-मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, १९५९। प्र०क्र० १२२।१३-१४ अपील।

श्रीमान् जी,

निगरानी का प्रार्थना-पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

१- यह कि, एस०डी०ओ० महोदय की आज्ञा कानूनन सही नहीं है।

२- यह कि, एस०डी०ओ० महोदय ने प्रकरण के स्वरूप एंव कानूनी स्थिति को सही नहीं समझा है।

३- यह कि, नामान्तरण आदेश के लगभग ८ वर्ष पश्चात की गई अपील को बिना पर्याप्त एंव समाधान कारक कारण के समयावधि में माने जाने में भूल की गई है।

४- यह कि, प्रतिप्रार्थीया के पति के जीवनकाल में हुये नामान्तरण आदेश एंव उसके पश्चात बटवारे आदेश की जानकारी पति धनसिंह को थी जिसने अपने जीवनकाल में उक्त आदेशों ...

(2)

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3292-एक/15 **जिला** - विदिशा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एस.के. अवस्थी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 26-2-19 को कलेक्टर, जिला विदिशा के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	